अगर आप इस पत्र को किसी अन्य भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो http://www.fema.gov/individual/privacy विजिट करें या 1-800-621-FEMA (3362) फोन करें या टीटीवाई के लिए 1-800-462-7585 दबायें ।

हमारे अभिलेख दर्शाते हैं कि 1998 और 2004 के बीच आपने अपने क्षेत्र में आपदा(ओं) के परिणामस्वरूप FEMA (फेमा) से सहायता का अनुरोध किया था। हम यह पत्र आपको हाल के अदालती आदेश के बारे में बताने के लिए लिख रहे हैं जो कि FEMA को आपके आपदा से क्षतिग्रस्त घर का पता साउथ फ्लॉरिडा सन सैंटिनल को मुहैया कराने का आदेश देता है जिसने जानकारी प्राप्त करने के लिए FEMA को अदालत में घसीटा था। अगर आपने फ्लॉरिडा में 2004 में आये चार तूफानों में से एक के बाद आपदा सहायता के लिए आवेदन किया है तो अदालत का आदेश FEMA को आपका पता न्यूज-प्रेस और पेनसाकोला न्यूज़ जर्नल को भी मुहैया कराने का निर्देश देता है।

हाल ही में, फ्लॉरिडा के इन समाचारपत्रों ने आप जैसे आवेदनकर्ताओं के लिए आपदा सहायता सूचना के लिए FEMA से कहा था, जिन्होंने FEMA से सहायता की मांग की थी। उस समय मुहैया कराई गयी समग्र सहायता के बारे में समाचापत्रों को सामान्य जानकारी मुहैया कराई थी। FEMA ने आपदा आवेदनकर्ताओं के नाम या पते नहीं दिये थे क्योंकि हम मानते हैं कि प्राइवेसी एक्ट इस प्रकार के प्रकाशन की अनुमति नहीं देता। अखबारों ने नाम एवं पते प्राप्त करने के लिए FEMA को अदालत में घसीटा। अदालत ने आदेश दिया कि FEMA को समाचारपत्रों को केवल आवेदनकर्ता के घर के पते देने होंगे। यह मुकदमा था News-Press v. DHS/FEMA, (U.S. App. LEXIS 14817 (जून 22, 2007).

हम समझते हैं कि जब आप सहायता की मांग करते हैं तो आप आशा करते हैं कि FEMA आपकी निजता की रक्षा करेगी। लेकिन, हम निरुपाया हैं और हमें अदालती आदेश का पालन करना ही होगा।

पुन:, अदालती आदेश के परिणामस्वरूप FEMA समाचारपत्रों को आपके आपदा से क्षतिग्रस्त आवास का पता देगी। हम आपका नाम या सामाजिक सुरक्षा नंबर जैसी कोई दूसरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं प्रदान करेंगे।

कृपया इस पत्र को अपने रिकार्ड के लिए रखें। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया FEMA से 1-800-621-FEMA (3362), पर संपर्क करें या टीटीवाई के लिए 1-800-462-7585 दबायें।